<u>संचिका संख्या : 3342/4/28/2020</u>

<u>दिनांक : .28.06.2022</u>

आवेदिका के द्वारा यह कहते हुए आवेदन दाखिल किया गया था कि वे कई वर्षो से भिक्षावृत्ति कर अपने तथा अपने परिवार का पेट पालती है। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण के तहत इनके तथा इनके परिवार का पुनर्वास एवं कल्याण किया जाय।

पूर्व में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सक्षम से प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि भिक्षुक के कल्याण एवं पुर्नावास के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा जिला पदाधिकारी का ध्यान आकर्षित करते हुए भिक्षुक को योजना का शीघ्र पूरा किये जाने का अनुरोध किया गया है ताकि सरकार के स्तर पर आवश्यक कल्याणकारी योजना बनाई जा सके। पूर्व में जिला अधिकारी रोहतास के द्वारा भी एक प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसके द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी को एक कंबल उपलब्ध कराया गया । बस्ती में निर्वासित 38 भिक्षुकों की सूची वार्ड सदस्य के द्वारा उपलब्ध कराये जाने की बात कहते हुए यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदिका बांसुरी, बैलून आदि बेचने का काम करती है एवं महिला भिक्षा मांगने का कार्य करती आ रही है। भिक्षुकों को वृद्धावस्था पेंशन/लक्ष्मीबाई पेंशन एवं अन्य पेंशन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कराने के अनुरोध संबंधित वार्ड कमिश्नर को दिया गया है। यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण के तहत संचालित पुरुष भिक्षुक अल्पवास गृह–सह–वर्गीकरण केंद्र को वरीय प्रशासी पदाधिकारी के द्वारा बंद कर दिया गया है। वहां निवास करने वाले भिक्षुक रैन बसेरा में नहीं जाना चाहता है। बल्कि जहां रहते हैं उसी के आस–पास घर और जमीन की मांग कर रहे है। राशन कार्ड को उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है (पृष्ठ 107से 109/ प0) उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निम्नलिखित कार्रवाई किया जाना प्रतिवेदित किया गया हैः–

1. परिवादी नसीमा सफा का आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं बैंक खाता खोला जा चुका है तथा अन्य 33 भिक्षुकों का आधार कार्ड, 31 भिक्षुकों का राशन कार्ड एवं 33 भिक्षुकों का बैंक खाता खोला गया है। शेष अन्य 4 भिक्षुक अन्यत्र चले गये है।

2. परिवादी नसीमा सफा पेंशन के पात्र नहीं है। इनका उम्र 38 वर्ष है और विधवा नहीं है तथा अन्य 13 को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। शेष भिक्षुक पेंशन के पात्र नहीं हैं।

3. नगर आयुक्त, नगर निगम, सासाराम द्वारा अपने पत्रांक 230/दिनांक 24.01.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि स्वरोजगार हेतु परिवादी को फुटपाथ के अंतर्गत सर्वेक्षण कर फुटपाथ विक्रेता प्रमाणपत्र दिया जा चुका है, साथ ही PMSVA nidhi के तहत ऋण हेतु आवेदन दाखिल कराया गया है, नसीमा सफा उर्फ नसीमा खातुन को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया है। नगर आयुक्त द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदिका को वार्ड काउन्सलर द्वारा लिखित कॉपी के माध्यम से जन वितरण प्रणाली, से प्रत्येक माह दस किलो अनाज भी दिया जाता है। साथ ही कार्यालय पत्रांक 1878/दिनांक 31.07.2019 से प्रधान सचिव न0वि0आ0वि0 बिहार पटना को जिला अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में मलीन बस्तियों एवं सरकार भूमि पर आवासीय परिवार को चिन्हित कर उसके पुर्नवास हेतु प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें परिवारी का नाम दर्ज है।

4. विभिन्न कार्यालयों एवं फॉर्मो में रोजगार पाने के लिए कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन के लिए नियोजन पदाधिकारी अवर प्रादेशिक डालमियानगर, रोहतास को पत्रांक 265/दिनांक 07.08.2021 एवं पत्रांक 264/दिनांक 07.08.2021 द्वारा जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिविका, रोहतास, सासाराम एवं निदेशक R-SETI, रोहतास, सासाराम को निदेशित किया गया।

5. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी सहित अन्य 29 भिक्षुकों को राशन कार्ड निर्गत किया जा चुका है।

उपरोक्त प्रतिवेदन की प्रति आवेदिका को भेजते हुए उन्हें प्रतिवेदन पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था, परन्तु प्रत्युत्तर अप्राप्त है।

उपरोक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आवेदिका के पुर्नावास के लिए कार्रवाई की जा रही है। उन्हें स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया है और जन वितरण प्रणाली से प्रत्येक माह 10 किलोग्राम अनाज दिया जाता है। उपरोक्त तथ्यों के खंडन करने का अवसर दिये जाने के बावजूद आवेदिका के द्वारा इसका खंडन नहीं किया गया है।

अतः प्रतिवेदन में दिये गये तथ्यों के आलोक के आलोक में इस आवेदन को संचिकास्त किया जाता है।

आदेश की प्रति आवेदिका को सूचनार्थ भेजने का आदेश दिया जाता है।